भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4999
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का जीवनकाल

4999. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों को दस वर्षों की आयु के लिए तैयार किया जाता है जिसके रखरखाव की पहले पांच वर्षों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और अगले पांच वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई ठेकेदार इन रखरखाव दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं जिसके कारण बिहार सहित देश में सड़क की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ग) बिहार सहित देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अवस्तरीय सड़क निर्माण और रख-रखाव के लिए काली सूची में डाले गए ठेकेदारों, यदि कोई हों, की कुल संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा सड़क रखरखाव के संबंध में मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के टिकाऊपन और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की कोई योजना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़क नियमावली के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत निर्मित सड़कों का निर्माण कम से कम 10 वर्षों की डिजाइन अवधि के साथ किया जाता है। पीएमजीएसवाई के

दिशानिर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्य , मानक बोली दस्तावेज के अनुसार , निर्माण अनुबंध के साथ-साथ, उसी ठेकेदार को प्रारंभिक पांच-वर्षीय रखरखाव अनुबंध में शामिल किए जाते हैं। अनुबंध की पूर्ति के लिए रखरखाव निधि का बजट राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है तथा इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। सड़क निर्माण के बाद 5 वर्ष की रखरखाव अवधि समाप्त होने पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है, जिसमें समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है।

(ख) पीएमजीएसवाई में गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था है। प्रथम स्तर के अंतर्गत, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना आवश्यक है। द्वितीय स्तर राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के माध्यम से संरचित स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कार्य का निर्माण के प्रारंभिक चरण, मध्यवर्ती चरण और अंतिम चरण में निरीक्षण किया जाए। तृतीय स्तर के अंतर्गत , जो राष्ट्रीय स्तर पर है , गुणवत्ता निगरानी करने तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ पेशेवरों का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चल रहे , पूर्ण हो चुके तथा रखरखाव चरण के सड़क कार्यों के यादृच्छिक निरीक्षण के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को तैनात किया जाता है। त्रिस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी के आधार पर , जहां भी आवश्यक हो , राज्य सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके बाद , की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) का सत्यापन राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा कार्यस्थल पर ही किया जाता है। इसके बाद राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) एटीआर की जांच करता है और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी की जाती है , जो ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा है।

गुणवत्ता जांच तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र प्रयोगशाला की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। इन प्रयोगशालाओं को भी जियो -टैग किया जाना है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता, ऐसी सड़कों के लिए कोई भुगतान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ई-फॉर्म और अन्य पहलों को शामिल करने के लिए गुणवत्ता निगरानी प्रणाली ऐप का एक नया संस्करण बनाया गया है , जिससे गुणवत्ता निगरानी प्रणाली सुदृढ़ हुई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) की शुरुआत के परिणामस्वरूप , दोष दायित्व अवधि के दौरान ठेकेदार को रखरखाव के लिए भुगतान , कार्य निष्पादन-आधारित

अनुबंध प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उसके द्वारा बनाए गए सड़कों की गुणवत्ता के अनुरूप किया जाता है।

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किसी भी त्रुटि के लिए ठेकेदारों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबंधित सूची में डाला जाता है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं रखा जाता है।

(घ) पीएमजीएसवाई कार्यों की निविदा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। हालांकि , पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के आवंटन में एकरूपता लाने के लिए मंत्रालय की तकनीकी शाखा, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ने एक मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) बनाया है। राज्यों को पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत कार्यों को प्रदान करने के मामले में मानक बोली दस्तावेज के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। कार्य की खराब गुणवत्ता के मामले में, राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें और अपने खर्च पर कार्यों को ठीक कराएं। मानक बोली दस्तावेज में पहले से ही यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त प्रावधान हैं कि पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए अच्छी कार्य गुणवत्ता वाले ठेकेदारों को लगाया जाए ; हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बोलियों की तकनीकी जांच के दौरान सख्त तकनीकी मूल्यांकन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(ड.) पीएमजीएसवाई में कार्यों की प्रभावी निगरानी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र है।

संपूर्ण कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी करने तथा कार्यान्वयन में अधिक कार्य कुशलता , जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए पीएमजीएसवाई के लिए एक आधुनिक वेब-आधारित ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) बनायी गई है। सभी स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी वास्तविक समय के आधार पर ओएमएमएएस के माध्यम से की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक और वित्तीय प्रगति राज्यों को दिए गए समग्र लक्ष्यों के अनुरूप हो। इसके अलावा , पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत प्रत्येक सड़क की निर्माण गतिविधियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) बनायी गई है।

सड़क निर्माण के दौरान पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पीएमजीएसवाई कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदार/पीआईयू द्वारा तैनात सभी वाहनों/मशीनरी/उपकरणों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे एक निश्चित अवधि के लिए मशीनरी/उपकरण के उचित संचालन का आकलन

करने में मदद मिलती है , जो निर्मित की जा रही सड़कों की निर्दिष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

इसके अलावा, दोष दायित्व अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव के वितरण को सुव्यवस्थित करने के उपाय के रूप में , ई-मार्ग की शुरुआत की गई है , जिसे कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) पर आधारित किया गया है। जैसा कि ऊपर (ख) के उत्तर में बताया गया है , ठेकेदार को भुगतान अब ई-मार्ग के माध्यम से किया जाता है, जो सड़क की न्यूनतम स्थिति, उसके क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित होता है। भुगतान इस बात पर आधारित होता है कि ठेकेदार अनुबंध में परिभाषित कार्य निष्पादन मानकों या सेवा स्तरों का अनुपालन कितनी अच्छी तरह से करता है, न कि टुकड़ों में किए गए कार्य पर।

***